UPSB060001572010

न्यायालय Civil Judge (Jr. Div.), Sonbhadra

पीठासीन अधिकारी– (Sushri Shishir Srivastava), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03440

मूलवाद संख्या–338/2010

जगवन्ती पत्नी सीताराम, निवासी सेमरिया (तल्ला), पोस्ट पकरहट, परगना विजयगढ़, तहसील राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र।

.....वादिनी

बनाम

1. रामप्यारे पुत्र वंशी, निवासी तेलाडी, परगना विजयगढ़, तहसील राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र।
2. सरकार उ0प्र0 सरकार जरिये कलेक्टर सोनभद्र।

.....प्रतिवादीगण

मूल वाद संख्या–338/2010,
संस्थित तिथि–06.10.2010
निर्णय तिथि–10.07.2026

–: निर्णय :–

1. प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु विरूद्ध प्रतिवादीगण संस्थित किया गया है।

2. वादपत्र का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी निजाई आराजी नम्बर 483ग, रकबा 0.360हे0, स्थित मौजा सेमरिया, परगना विजयगढ़, तहसील राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र, वादिनी की आवासीय व काश्तकारी आराजी है। जिस पर वादिनी बतौर भूमिधर काबिज दाखिल चली आ रही है एवं आज भी है। आराजी निजाई पर वादिनी का कब्जा दखल अर्सा 60 वर्ष से वजमाना मूरिसान मुतवातिर आज तक चला आ रहा है। आराजी में वादिनी के मुरिसान व वाद वफात वादिनी पक्का मकान बनाकर उसमें रहते हुए शेष रकबे में खेती बारी करती चली आ रही है। आराजी में वादिनी के द्वारा लगाया गया 7 पेड़ अमरूद, 2 पेड़ नीबू, 2 पेड़ आम, 3 पेड़ महुआ स्थित है, जिसका उपयोग व उपभोग वादिनी के द्वारा होता चला आ रहा है। वादिनी ने आराजी में अरहर की फसल इस वर्ष काश्त किया था, जिसको काट चुकी है तथा अगला फसल तिल्ली उरदी व अरहर की फसल को बोने की तैयार कर रही है। वादिनी का आराजी निजाई पर आवासीय व काश्तकारी कब्जा दखल विजयगढ़ राज्य के जमाने से लगातार आज तक चला आ रहा है एवं आज भी है। वादिनी का आराजी निजाई पर मुखालीफाना गासिवाना काश्तकारी व आवासीय कब्जा दखल उसके मूरिसान के जमाने से लगातार चला आ रहा है। इस प्रकार वादिनी आराजी निजाई का अं0धारा–10/130 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत मौरूसी काश्तकार व वादहू सिरदार व बादहू भूमिधर हुई तथा बतौर भूमिधर काबिज दाखिल चली आ रही है। इस प्रकार वादिनी अपनी आबादी की

अन्तर्गत धारा–9/123 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत उसकी मालिक व काबिज दखील हुई तथा बतौर मालिक काबिज दखील चली आ रही है। आराजी निजाई से प्रतिवादीगण से कोई वास्ता सरोकार न कभी था और न आज ही है बल्कि सदैव से वादिनी का आवासीय काश्तकारी कब्जा दखल चला आ रहा है एवं आज भी है। प्रतिवादी सं0–2 मुकदमा मजकूर में आवयक फार्मल पक्षकर बनाये गये हैं, जिन्हें दफा–80 जा0दी0 की कानूनी नोटिस देकर 2 माह बाद दावा दाखिल करने का प्राविधान है। चूँकि दावा अर्जेन्टनी है अगर वादी नोटिस देकर 2 माह बाद दावा दाखिल करेगा तो दावा वादिनी दाखिल करने का मंशा समाप्त हो जायेगा तथा प्रतिवादीगण कानून विरूद्ध तरीके से वादिनी को उसकी आराजी से बेदखल कर देंगे। ऐसी स्थिति में धारा–80(2) जा0दी0 के तहत अलग से प्रार्थना पत्र दे रहा है। आराजी कागजात माल खतौनी में श्रेणी 5–1 नयी परती के रूप में दर्ज चला आ रहा है, जिसके बावत् वादिनी के हल्का लेखपाल से वारहा कहा कि वादिनी का नाम कागजात माल खतौनी में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कर व करा देंगे लेकिन वे बराकर हिला हवाली करते रहे तथा अन्तिम बार प्रतिवादी सं0–1 के प्रभाव में आकर दिनांक 18.09.2010 वादिनी को धमकी दिये कि तुम अपनी आराजी छोड़कर हट जाओ नहीं तो लाठी के बल पर आराजी से बेदखल कर व करा देंगे। वाद का कारण दिनांक 18.09.2010 को योम देने धमकी मुतजिकरावली अन्दर हदुद अख्तियार समायत नासिल हाजा के पैदा हुई। आराजी निजाई मौजा सेमरिया, परगना विजयगढ़, तहसील राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र में स्थित है तथा अदालत हाजा की सुनवाई व क्षेत्राधिकार हासिल है। आराजी निजाई में स्थित पक्का मकान व पेड़–पौधे व फसल व आराजी निजाई कुल मूल्यांकन मु0 20,000/– रुपये कायम किया जता है जिस पर वांछित न्याय शुल्क अदा किया जाता है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन वादिनी के पक्ष में है क्योंकि वादिनी का आराजी निजाई पर आवासीय काश्तकारी कब्जा दखल उसके मुरिसान के जमाने से लगातार आज तक चला आ रहा है। इस प्रकार वादिनी आराजी निजाई की मालिक व काबिज दखील है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन वादिनी के पक्ष में है, अगर प्रतिवादी जबरजस्ती अपने स्वार्थ सिद्धी के लिए कानून विरूद्ध तरीके से लाठी के बल पर वादिनी को आराजी निजाई से बेदखल कर देंगे या उसकी आबादी को नष्ट कर देंगे तो वादिनी व उसका परिवार भूखा मरने को मजबूर हो जायेगा। **वादिनी निम्नलिखित दादरसी पाने की मुश्तहक हैः–** बजरिए हुकुम इम्तनाई दवामी दवाम के लिए प्रतिवादीगण को मुमानियत फरमायी जावे कि वे वादिनी को आराजी निजाई से बेदखल करने का प्रयास न करें तथा न तो वादिनी की आराजी को नष्ट या बर्बाद करें तथा न तो वादिनी की आराजी निजाई के उपयोग व उपभोग करने में व्यवधान उत्पन्न करें न तो आराजी निजाई में किसी प्रकार का खन खोद अथवा निर्माण का प्रयास करें न तो आराजी के नवैयत में परिवर्तन का प्रयास करें न तो बोई जाने वाले फसल को बोने से रोकने व उसे नष्ट करने का प्रयास करें न करावें।

3. प्रतिवादी सं0–2 उत्तर प्रदेश सरकार बजरिए जिलाधिकारी सोनभद्र की ओर से **जवाबदावा क** प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित कथनों से इन्कर करते हुए अतिरिक्त रूप से कथन किया गया है कि दावा हाजा खिलाफ कानून व खिलाफ मौका तथा गलत अधारों पर प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी नम्बर 483ग रकबा 0.8600हे0 स्थित मौजा सेमरिया, परगना विजयगढ़, तहसील राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र का असल मालिक व काबिज उ0प्र0 सरकार की ओर से ग्राम

पंचायत सेमरिया परगना विजयगढ़, तहसील राबर्ट्सगंज, सोनभद्र रही है तथा माल अभिलेखों में बतौर नवीन परती दर्ज ही है, जिससे स्पष्ट हे कि वादिनी विवादित आराजी नम्बर 483 के किसी भी जुज भाग की मालिक व काबिज नहीं है। मौजा सेमरिया, परगना विजयगढ़, तहसील राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में सर्वे बादहू चकबंदी की कार्यवाही हुई है। काश वादिनी अथवा वादिनी के मूरिसानों का कभी भी कोई कब्जा दखल विवादित आराजी के किसी भी जुज भाग पर रहा होता तो सर्वे चकबंदी में वादिनी को हक हकूक प्राप्त हो गया होता किन्तु माल अभिलेख में वादिनी अथवा वादिनी के मूरिसानों का कभी भी कोई इन्द्राज नहीं पाया गया, जिससे वादिनी की सारी झूठायी स्पष्ट है। वादिनी द्वारा कब्जे के बावत् भी चकबंदी के पूर्व अथवा चकबंदी के बाद भी किसी भी प्रकार का अभिलेख दाखि नहीं की है। विवादित भूमि काफी उबड़–खाबड़, ऊूची–नीची भूमि है जो उ0प्र0 राज्य की ओर से ग्राम पंचायत सेमरिया की देख–रेख व नियंत्रण में चली आ रही थी, जिस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का हक व हकूक प्राप्त नहीं हो सकता है और न तो वादिनी को प्राप्त हो ही सकता है। उक्त विवादित आराजी नम्बर 483ग रकबा 0.850हे0 जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा पुनर्ग्रहण करते हुए अपने अधिकार में लेकर थाना रायपुर के हक में दे दिया गया है, जिसका इन्द्राज माल अभिलेखों में भी हो चुका है एवं पुलिस इलाका उ0प्र0 राज्य की ओर से काबिज दाखिल है, जिस पर थाना/चौकी का भवन निर्माणाधीन है जो सार्वजनिक हित कार्य है एवं मौजा रायपुर नक्सलाइड इलाका भी है। दावा हाजा में जानबूझकर वादिनी के ग्राम पंचायत सेमरिया परगना विजयगढ़, तहसील राबर्ट्सगंज, सोनभद्र एवं पुलिस विभाग को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है, पस दावा हाजा मैलाफाइडी एवं मिसकनसिब्ड है। दावा हाजा दफा–80 जा0दी0 के प्राविधानों से बाधित है। वादिनी का कोई प्रथम दृष्टया केस व अपूर्णनीय क्षति व बैलेंस आफ कनविनियन्स साबित नहीं है। दावा हाजा में स्वत्व के घोषणा का मामला निहित है जैसा कि दावा हाजा के पैरा 3 में ही स्पष्ट है जबकि माल अभिलेखों में विवादित आराजी नवीन परती के रूप में दर्ज है। पस दावा हाजा माननीय न्यायालय में पोषयणीय नहीं है एवं धारा–331 ज0वि0 अधिनियम के प्राविधानों से बाधित है। प्रस्तुत वाद अं0धारा–331 उ0प्र0ज0वि0 अधिनियम के प्राविधानों से एवं धारा –9 जा0दी0 के प्राविधानों से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है। उक्त के आधारा पर दावा खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

4. प्रतिवादी सं0–1 पर सम्मन का तामीला पर्याप्त पाये जाने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने बावजूद भी प्रतिवादी सं0–1 की ओर से जवाबदेही व आपत्ति दाखिल नहीं किये जाने तथा प्रतिवादी सं0–1 की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 25.02.2013 को प्रतिवादी सं0–1 के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित करते हुए वादिनी तथा प्रतिवादी सं0–2 के अभिवचनों के आधार पर वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किये जाने हेतु प्रस्तुत वाद में निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं –

1. **क्या दावा वादिनी आ0नं0–483ग रकबा 0.860हे0 मौजा सेमरिया की मालिक काबिज दखली है?**
2. **क्या दावा वादिनी ने वाद विषय का मूल्यांकन कम किया है तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?**
3. **क्या इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?**

4. क्या दावा वादिनी धारा–80 जा0दी0 से बाधित है?

5. क्या दावा वादिनी में मसला पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?

6. क्या दावा वादिनी धारा–331 ज0वि0 अधिनियम से बाधित है?

7. क्या दावा वादिनी धारा–9 जा0दी0 से बाधित है?

8. क्या दावा वादिनी किसी अन्य अनुतोष को पाने की अधिकारिणी है?

5. वादिनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची पत्र 9ग के माध्यम से कागज संख्या–10ग/1 ता 10ग/3 उद्धरण खतौनी की प्रमाणित प्रति तथा सूची पत्र–18ग के माध्यम से कागज संख्या–19ग/1 ता 19ग/2 सिविल मिसलेनियस रिट पेटीशन नं0–1657 सन् 2011 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2011 की छायाप्रति व अन्य प्रपत्र दाखिल किया गया है।

6. वादिनी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में बतौर साक्षी **पी0डब्ल्यू0–1** के रूप में **जगवन्ती** (वादिनी मुकदमा), **पी0डब्ल्यू0–02** के रूप में **राजाराम** को परीक्षित कराया है।

7. प्रतिवादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य के रूप में सूची पत्र 22ग के माध्यम से कागज संख्या–23ग/1 ता 23ग/3 उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1414–1419 की प्रमाणित प्रति, सूची पत्र 68ग/1 के माध्यम से कागज संख्या–68ग/2 उद्धरण खतौनी (वादग्रस्त भूखण्ड) की प्रमाणित प्रति व अन्य प्रपत्र दाखिल किया गया है।

8. प्रतिवादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में बतौर साक्षी **डी0डब्ल्यू0–01** के रूप में **हरिन्दर प्रसाद** को परीक्षित कराया है।

<u>–: न्यायालय का निष्कर्ष :–</u>

9. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की विद्वततापूर्ण बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर प्रतिवादी सं0–2 की ओर से दाखिल लिखित बहस व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया, प्रत्येक वाद बिन्दु पर निम्नवत उपपत्ति की जाती है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–01 :–</u>

10. वाद बिन्दु संख्या–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि–**क्या दावा वादिनी आ0नं0–483ग रकबा 0.860हे0 मौजा सेमरिया की मालिक काबिज दखली है?**

उक्त वाद बिन्दु वादी के अभिकथनों के आधार पर विरचित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–101 व 102 के अन्तर्गत उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–101 में साक्ष्य के भार के विषय में वर्णन किया गया है कि सबूत का भार उस पक्षकार पर होता है जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राछ्यात करता है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–102 में साक्ष्य का भार किस पर होता है, इस सम्बन्ध में अंकित किया गया है कि किसी वाद या कार्यवाही में साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर होता है, जो असफल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए। वादी को अपने वाद पत्र में किये गये कथनों

को स्वयं साबित करना होता है। वादी को यह साबित करना होता है कि विवादित सम्पत्ति कहॉ पर स्थित है, उसे विवादित सम्पत्ति पर किस प्रकार कोई अधिकार प्राप्त है, अथवा उसका कोई हित निहित है। इस तथ्य को स्वयं वादी के द्वारा अपने साक्ष्य से ही साबित करना होगा। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को अपना भार स्वयं साबित करना होता है। वादी को प्रतिवादी की कमजोरी का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Smriti Debbarama (Dead) Through Legal representative Vs. Prabha ranajan Debbarama and ors. [2022 LL (SC) 19], Union of India vs. Vasava Co-operative society ltd. 2014 (102) ALR 735 तथा Maran Mar Basselios Catholicos vs. Thukalam Paulo Avira AIR 1959 S.C. 31** सुसंगत है। उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी द्वारा कथन किया गया है कि विवादित भूमि आराजी सं0–483ग रकबा 0.360हे0 की है। उक्त विवादित भूमि पर वादिनी 60 वर्ष से ज्यादा से बतौर भूमिधर काबिज चली आ रही है। विवादित भूमि में वादिनी पक्का मकान बनाकर व शेष रकबे में खेती करती चली आ रही है। विवादित आराजी में वादिनी के द्वारा लगाये गये 7 पेड़ अमरूद, 2 पेड़ नीबू, 2 पेड़ आम, 3 पेड़ महुआ स्थित है। वादिनी का विवादित भूमि पर कब्जा दखल पूर्वजों के जमाने से है। इस प्रकार वादिनी विवादित भूमि की मौरूसी काश्तकार अन्तर्गत धारा–10/120 ज0वि0 अधिनियम बादहू सिरदार बादहू भूमिधर हुई तथा अपनी आबादी की अन्तर्गत धारा–9/123 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत मालिक काबिज हुई परन्तु विवादित भूमि गलत तरीके से माल खतौनी में श्रेणी 5–1 नई परती के रूप में दर्ज चली आ रही है। वादिनी ने हल्का लेखपाल से कई बार माल खतौनी में वादिनी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन वे हीला हवाली करते रहे तथा प्रतिवादी सं0–1 के प्रभाव में आकर दिनांक 18.09.2010 को उन्होंने वादिनी को बेदखल करने की धमकी दी। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। परिणामस्वरूप वादिनी ने प्रस्तुत वाद संस्थित कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष की मांग की गई। वादिनी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी सं0–2 उ0प्र0 सरकार को फार्मल पक्षकार होना कहा है परन्तु उसके द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध याचित किया गया है।

12. प्रतिवादी सं0–1 तामील उपरान्त हाजिर अदालत नहीं आये। परिणामस्वरूप उनके विरूद्ध दिनांक 20.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

13. प्रतिवादी सं0–2 उ0प्र0 सरकारी की तरफ से वादी के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त सम्पत्ति खसरा सं0–483ग नवीन परती की सम्पत्ति है, जिसका स्वामित्व राज्य सरकार को प्राप्त है। विवादित आराजी का जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा पुर्नग्रहण करते हुए अपने अधिकार में लेकर थाना रायपुर के हक में दे दिया गया।

14. वादिनी द्वारा उपरोक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय वादिनी द्वारा उपरोक्त वाद स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। इस संबंध में माननीय

उच्चतम न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **बालकृष्ण दत्तात्रे गैलाडे बनाम बालकृष्ण राम भरोसे गुप्ता व अन्य सिविल अपील नं0–1509/2019** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 के तहत दायर वाद में स्थाई निषेधाज्ञा केवल उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो कि वाद की तारीख पर सम्पत्ति के वास्तविक कब्जे में है। एक अन्य मामले **अनाथुला सुधाकर बनाम पी0 वुच्ची रेडी (2008) 4 SCC 59** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि स्थाई व्यादेश के अनुतोष के लिये वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वाद संस्थित किये जाने की तिथि पर वह वादग्रस्त सम्पत्ति के वैध कब्जे में था और प्रतिवादी ने वादी के वैध कब्जे में हस्तक्षेप व अतिक्रमण करने की कोशिश की थी।

15. उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण में अवलोकन करने पर विदित होता है कि वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र की धारा–6 में यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत मामले की विवादित आराजी कागजात माल में नवीन परती के रूप में अंकित है। वादिनी के उक्त कथन की पुष्टि वादिनी द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य उद्धरण खतौनी की छायाप्रति का0सं0–10ग से होती है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य में सम्पूर्ण खसरा सं0–483ग रकबा 0.8600 राजस्व अभिलेखों में नवीन परती में दर्ज है। वादिनी ने यद्यपि अपने वाद पत्र की धारा–6 में यह भी कहा है कि विवादित भूमि गलत तौर से नवीन परती में दर्ज है। दौरान बहस वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज मात्र से वादिनी के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विधि व्यवस्था **P. Kishore Kumar Vs. Vittal K. Patkar Civil appeal No.-7210/11 Judgement dated 20 Nov, 2023** प्रस्तुत की गयी। उक्त विधि व्यवस्था का सादर अवलोकन किया। उक्त विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में लागू नहीं होती है।

16. इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करना समीचीन होगा।

विधि व्यवस्था **इन्दर सिंह बनाम धन्ना सिंह (1952) 2 SCC 574** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि–

'In law, presumption of correctness attaches to the records prepared in accordance with the provisions of the Land Revenue Act at whatever period they might have been prepared unless the later record in express terms declared that the earlier entries were incorrect.'

विधि व्यवस्था **प्रताप सिंह बनाम शिवराव (2020) 11 SCC 242** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि –

"presumption of truth attached to the revenue record can be rebutted only based on evidence of impechable intigrity and reliabelity. The oral evidence can always be adduced contrary to the revenue record, but such oral testimony will not be suffiecent to hold that the statutory presumption stands rebutted. The revenue record can be rebutted if such entry was make fraudulently or surreptitiously or where such enty has not been made by following

the prescribed procedure.''

वर्तमान प्रकरण में वादिनी द्वारा ऐसा कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किया गया। जिससे यह प्रकट हो कि वादग्रस्त सम्पत्ति गलत रूप से नवीन परती के रूप में दर्ज है। अतः ऐसी स्थिति में वादिनी का यह तर्क कि राजस्व अभिलेखों में वादग्रस्त सम्पत्ति गलत रूप से नवीन परती में दर्ज है, साबित नहीं होता है।

17. कब्जे के सम्बन्ध में वादिनी द्वारा कहा गया है कि वह उक्त आराजी पर लगभग 60 वर्षों से बराबर बिना किसी रोक–टोक के बतौर भूमिधर काबिज चली आ रही है। उक्त कब्जे को साबित करने के लिए वादिनी द्वारा कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन करने पर विदित होता है कि वादिनी पी0डब्ल्यू0–1 जगवन्ती ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने वाद पत्र के कथनों का शब्दशः समर्थन किया, परन्तु प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई भी कथन नहीं किया गया, जिससे यह साबित होता है कि वादिनी लगभग 60 वर्षों से विवादित भूमि पर कब्जे चली आ रही है। अपितु अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि– ''किस आराजी नम्बर के सम्बन्ध में मुकदमा दाखिल किया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वादग्रस्त आराजी का करबा ढाई बीघा है।..... वादग्रस्त आराजी के अगल–बगल किसी जमीन है, उसकी चौहद्दी मुझे नहीं मालुम है।'' स्पष्ट है कि वादिनी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के विवादित आराजी का रकबा ढ़ाई बीघा बताया है जबकि वाद पत्र में विवादित आराजी खसरा सं0–483ग का रकबा 0.360हे0 है, जो कि लगभग 1.435 बीघा के लगभग आता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वादिनी को अपनी भूमि की चौहद्दी ज्ञात न होना कहा है। जबकि वह विवादित भूमि पर लगभग 60 वर्ष से कब्जे में चली आ रही है। यदि वह 60 वर्ष से अधिक की अवधि से विवादित भूमि के कब्जे में है तो उसे अपने कब्जे की भूमि की चौहद्दी ज्ञात होती चाहिए थी। यह भी उल्लेखनीय है कि वादिनी ने अपना साक्ष्य सन् 2025 में दिया था तथा उस समय उसकी आयु 50 वर्ष थी तथा वादिनी द्वारा यह कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है कि उसे विवादित भूमि किससे प्राप्त हुई है न ही अपना कोई सजरा ही दिया गया है। ऐसे में वादिनी के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि वह 60 वर्ष से विवादित भूमि में कब्जा दखल में है।

18. वादिनी की तरफ से प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 राजाराम ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि– ''जगवन्ती को मैं लगभग 25 साल से जानता हूॅ। जगवन्ती का मामला ग्रामसभा डुमरिया, पथरईया में है। पथरईया सेमरिया से 15–16 किमी0 दूर है। स्पष्ट है कि उक्त साक्षी जगवन्ती को मात्र 25 साल से ही जानता है तथा साक्ष्य देते समय सन् 2025 के उक्त साक्षी की आयु 56 साल है।'' ऐसे में उक्त साक्षी के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि जगवन्ती का कब्जा विवादित भूमि पर 60 वर्ष से चला आ रहा है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वादिनी चूॅकि विवादित भूमि पर 60 वर्ष से काबिज चली आ रही है, इसके लिए विवादित भूमि अन्तर्गत धारा–10/130 ज0वि0 अधिनियम बतौर मौरूसी काश्तकार बादहू सिरदार बादहू संक्रमणीय भूमिधर वादिनी को प्राप्त हुई। कागजात माल में गलत तरीके से नवीन परती में दर्ज है, इस सम्बन्ध में विचारणीय है कि वाद दायर करने की तिथि 06.10.2010 को उ0प्र0 जमींदारी निवास एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू हुये लगभग 60 वर्ष व्यतीत हो चुका है परन्तु इतने वर्षों में भी वादिनी का नाम राजस्व

अभिलेखों में दर्ज नहीं हो पाया, यह स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है कि वादिनी द्वारा अपना नाम दर्ज कराने हेतु कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई। इस सम्बन्ध में वादिनी द्वारा कोई प्रलेखीय साक्ष्य भी नहीं प्रस्तुत किया गया है, जिससे साबित होता हो कि वादिनी द्वारा विवादित भूमि को उसके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने हेतु कोई कार्यवाही की गई है। ऐसे में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उसका स्वामित्व संदिग्ध प्रतीत होता है।

20. वादिनी द्वारा विवादित भूमि खसरा सं0–483ग के रकबा 0.360हे0 को विवादित दिखाया गया है जबकि खसरा सं0–483ग का कुल रकबा 8.600हे है। वादिनी ने अपने वाद में विवादित भूमि की कोई माप नहीं बताई गई है, न ही यह बताया गया है कि विवादित भूमि सम्पूर्ण गाटा संख्या में कहा अवस्थित है। उक्त विवरण अंकित नहीं होने के कारण विवादित आराजी पहचान योग्य नहीं है। यहॉ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधिक दृष्टांत **श्रीमती फूलमती बनाम मणिक लाल 2005 (2) AWC 1823** उल्लेखनीय है, जिसमें यह सिद्धान्त पारित किया गया है कि विवादित सम्पत्ति के पहचान न होने की दशा में निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

21. इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादिनी विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपने स्वामित्व व कब्जे को साबित करने में असफल रही है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं0–1 वादिनी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–2</u>

22. वाद बिन्दु संख्या–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि–**क्या दावा वादिनी ने वाद विषय का मूल्यांकन कम किया है तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?**

वाद बिन्दु संख्या–2 का निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 15.03.2013 द्वारा किया जा चुका है, जो इस निर्णय का अंश होगा।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–3</u>

23. वाद बिन्दु संख्या–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि–**क्या इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?**

वाद बिन्दु संख्या–3 का निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 15.03.2013 द्वारा किया जा चुका है, जो इस निर्णय का अंश होगा।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–04 :–</u>

24. वाद बिन्दु संख्या–4 इस आशय का विरचित किया गया है कि–**क्या दावा वादिनी धारा–80 जा0दी0 से बाधित है?**

वाद बिन्दु संख्या–4 का निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 10.01.2024 द्वारा किया जा चुका है, जो इस निर्णय का अंश होगा।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–05:–</u>

25. वाद बिन्दु संख्या–5 इस आशय का विरचित किया गया है कि–**क्या दावा वादिनी में मसला पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?**

इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा दौरान बहस ऐसा कोई भी तर्क प्रस्तुत किया गया है और न ही उक्त अभिकथन के समर्थन में कोई साक्ष्य दाखिल किया गया है, जिससे उक्त वाद बिन्दु पर कोई बल होना प्रतीत होता है। अतः वाद बिन्दु सं0–5 प्रतिवादीगण द्वारा

बल न दिये जाने के आधार पर नकारात्मक रूप से निर्णित किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–06:–</u>

26. वाद बिन्दु संख्या–6 इस आशय का विरचित किया गया है कि–**क्या दावा वादिनी धारा–331 ज0वि0 अधिनियम से बाधित है?**

वाद बिन्दु संख्या–6 का निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 11.02.2025 द्वारा किया जा चुका है, जो इस निर्णय का अंश होगा।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–07:–</u>

27. वाद बिन्दु संख्या–7 इस आशय का विरचित किया गया है कि–**क्या दावा वादिनी धारा–9 जा0दी0 से बाधित है?**

वाद बिन्दु संख्या–7 का निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 11.02.2025 द्वारा किया जा चुका है, जो इस निर्णय का अंश होगा।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–08 :–</u>

28. वाद बिन्दु संख्या–8 इस आशय का विरचित किया गया है कि–**क्या दावा वादिनी किसी अन्य अनुतोष को पाने की अधिकारिणी है?**

वाद बिन्दु संख्या–1 के निस्तारण वादिनी के विरूद्ध किया जा चुका है। चूँकि वादिनी अपने मुख्य अनुतोष को पाने का अधिकारिणी नहीं है इसलिए वादिनी किसी अन्य अनुतोष को पाने की अधिकारिणी नहीं है।

29. इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के परिशीलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वादिनी अपने वाद पत्र के तथ्यों को साबित करने में सफल नहीं रही है। इसके लिए दावा वादिनी सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

<u>–:आदेश:–</u>

वादिनी का वाद सव्यय खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–10.07.2026

(शिशिर श्रीवास्तव)
जे0ओ0कोड–UP03440
सिविल जज जू0डि0,
सोनभद्र।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–10.07.2026

(शिशिर श्रीवास्तव)
जे0ओ0कोड–UP03440
सिविल जज जू0डि0,
सोनभद्र।